

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE: EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
6TH LEVEL, 'C' WING, DELHI SECRETARIAT, IP ESTATE, NEW DELHI-110002

No: F10(13)/Env/2015/7400-7422

Dated: 23/12/2015

NOTIFICATION

In compliance with the order dated 16.12.2015 of Hon'ble Supreme Court in I.A. No. 366, 367, 368, 370, 371, 372, in I.A. No. 365 in I.A. No. 345, I.A. No. 369, 373, 374 in I.A. No. 366 in I.A. No. 365 in I.A. No. 345 in Writ Petition (Civil) No. 13029/1985, with Writ Petition (Civil) No. 817 of 2015, Writ Petition (Civil) No. 116 of 2013 and Writ Petition (Civil) No. 728 of 2015 and in continuation with the notification No.F10(13)/Env/2015/6167-6189 dated 20.10.2015, Environment Compensation Charge (ECC) on Delhi bound light and heavy duty commercial vehicles loaded with goods shall be on the following rates:

- | | | |
|------|--|------------|
| (i) | Category 2 (light duty vehicles etc) and
Category 3 (2 axle trucks) | Rs. 1300/- |
| (ii) | Category 4 (3 axle trucks) and
Category 5 (4 axle trucks and above) | Rs. 2600/- |

The aforesaid rate shall come into effect from the date of the order dated 16-12-2015 of Hon'ble Supreme Court,


(Kulanand Joshi)
Special Secretary (Environment)

No: F10(13)/Env/2015/

Dated:

Copy to:

1. Secretary to Lieutenant Governor, Delhi
2. Pr. Secretary to Chief Minister, GNCTD
3. Secretary to Dy. Chief Minister, GNCTD
4. Secretary to Transport Minister, GNCTD
5. Secretary to Environment Minister, GNCTD.
6. Secretary to All Ministers, GNCTD
7. OSD to Chief Secretary, GNCTD
8. Commissioner, Delhi Police
9. Commissioner, Transport, GNCTD.
10. Pr. Secretary (UD) , GNCTD
11. Pr. Secretary (UD), GNCTD
12. Pr. Secretary (Finance), GNCTD
13. Commissioner South MCD / North MCD / East MCD
14. Spl. Commissioner (Traffic), Delhi Police.
15. All Secretaries and Head of the Departments, GNCTD
16. Secretary Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India
17. Secretary Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India
18. Chief Secretaries of Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan
19. Chairman, Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA)
20. Chairman, Central Pollution Control Board, Delhi
21. The Special Secretary (GAD/Coord.), Govt. of NCT of Delhi (in duplicate alongwith Hindi version of the same) for publication in Delhi Gazette (Extra- Ordinary part- IV). It is requested that five copies of the Gazette may kindly be sent to this department for official record.
22. PS to Secretary (Environment), GNCTD.
23. Guard File.


(Kulanand Joshi)
Special Secretary (Environment)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पर्यावरण विभाग

छठा तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110 002

सं0फा0 10(13)/पर्या0/2015/7400-7422

दिनांक: 23/12/2015

अधिसूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16.12.2015 के आदेश के अनुपालन में आई.ए. संख्या 366, 367, 368, 370, 371, 372, और आई.ए. संख्या 365 में 345, आई.ए. संख्या 369, 373, 374 में आई.ए. संख्या 366, आई.ए. संख्या 365, आई.ए. संख्या 345 के रिट याचिका (सिविल) संख्या 13029/1985 के साथ रिट याचिका (सिविल) संख्या 817/2015, रिट याचिका (सिविल) संख्या 116/2013 और रिट याचिका (सिविल) संख्या 728/2015 और इस कार्यालय के अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या./2015/6167-6189 दिनांक 20-10-2015, तदनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित दरों पर दिल्ली आने वाले सामान से लदे हुए हल्के तथा भारी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) वसूल करेगी :-

(i.) श्रेणी 2 (हल्के ड्यूटी वाहनों इत्यादि) तथा

श्रेणी 3 (2 ऐक्सल ट्रक)

1300/-रुपये

(ii.) श्रेणी 4 (3 ऐक्सल ट्रक) तथा

श्रेणी 5 (4 ऐक्सल ट्रक तथा अधिक)

2600/-रुपये

उपरोक्त दरें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-12-2015 से प्रभावी होंगी।

(कुलानंद जोशी)

विशेष सचिव (पर्यावरण)

दिनांक:

सं0फा0 10(13)/पर्या0/2015

1. सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, उप-मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, पर्यावरण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, समस्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. आयुक्त, दिल्ली पुलिस।
9. आयुक्त, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. प्रधान सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. प्रधान सचिव, (लोक निर्माण विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. प्रधान सचिव, (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
13. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर/पूर्व, दिल्ली नगर निगम।
14. विशेष आयुक्त (यातायात), दिल्ली पुलिस।
15. समस्त सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
16. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार।
17. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार।
18. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश हरियाणा और राजस्थान।
19. चैयरमैन, पर्यावरण नियंत्रण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण।
20. चैयरमैन, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
21. विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग-4 में प्रकाशनार्थ हेतु अधिसूचना की दो प्रतियाँ हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद सहित।
22. निजी सचिव, सचिव (पर्यावरण विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
23. गार्ड फाईल।

(कुलानंद जोशी)

विशेष सचिव (पर्यावरण)